

टाप शीट

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/45 लागू करने की तिथि : 12.6.2014

दोहना स्टेशन के ट्रैफिक समपार फाटक सं० 231/सी एं० 232/सी के संचालन पद्धति में संशोधन किए जाने के कारण दोहना स्टेशन के संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/45 दिनांक 6.8.2012 की संशोधन पर्ची संख्या 3 दिनांक 9.6.2014

संशोधन के कारण निम्नलिखित पृष्ठों को बदल दिया गया :-

गेट परिशिष्ट –

1. परिशिष्ट 'क' समपार सं० 231 'सी' के गेट अनुदेश पृष्ठ सं० 1 से 11 संशोधित
2. परिशिष्ट 'क.1' समपार सं० 232 'सी' के गेट अनुदेश पृष्ठ सं० 1 से 11 संशोधित

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आजमी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

टाप शीट

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/45 लागू करने की तिथि : 14.8.2013

दोहना स्टेशन पर स्थित यातायात समपार सं० 231/सी ए० 232/सी द्वारा एम०जी० गाड़ियों का पूर्ण आगमन सुनिश्चित किया जाने के सम्बन्ध में दोहना स्टेशन के संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/45 दिनांक 6/8/2012 की संशोधन पर्ची संख्या 2 दिनांक 13.8.2013 द्वारा संशोधन के कारण निम्नलिखित पृष्ठ बदले गये हैं :-

सामान्य भाग-

1. पृष्ठ संख्या 11 मद संख्या 6.5 संशोधित

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

टाप शीट

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/45

लागू करने की तिथि : 18.10.2012

दोहना-भोजीपुरा एवं दोहना-इज्जतनगर स्टेशनो के मध्य समपार फाटक 230, 233, 234 को हटाकर एवं 3 वे लाकअप बाक्स एवं दोहना-इज्जतनगर के मध्य एच0के0टी हटाये जाने के कारण दोहना स्टेशन के संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/45 दिनांक 6/8/2012 की संशोधन पर्ची संख्या 1 दिनांक 12/10/2012 संशोधन के कारण निम्नलिखित पृष्ठों को बदल दिया गया :-

सामान्य भाग-

1. पृष्ठ संख्या 1 पैरा 1.1 एस0आई0पी0 एवं आर0डी0 संशोधित
2. पृष्ठ संख्या 2 पैरा 2.6.1 समपार फाटक 230, 233, 234 हटाये गये एवं किमी0 संशोधित
3. पृष्ठ संख्या 7 पैरा 4.1.7 स्टेशन मास्टर लाकअप बाक्स हटाया गया पैरा 4.3 आई0पी0एस0 संशोधित किया गया, पैरा 4.4 वीडर काउन्टर ब्लाक यंत्र जोड़े गये, पैरा 5 समपार फाटक 230, 233, 234 का संदर्भ हटाया गया।
4. पृष्ठ संख्या 9 पैरा 6 (1) (ज) संशोधित किया गया।
5. पृष्ठ संख्या 10 पैरा 6.2 (घ) एवं (ङ) हटाया गया।
6. पृष्ठ संख्या 13 पैरा 7 संशोधित किया गया।
7. पृष्ठ संख्या 14 पैरा 7.1 संशोधित किया गया।
8. पृष्ठ संख्या 16 पैरा 8.3 (V) हटाया गया।

परिशिष्ट

1. परिशिष्ट 'क' पृष्ठ सं0 1 से 11 तक बदले गये।
2. परिशिष्ट 'क-I' पृष्ठ सं0 1 से 11 तक बदले गये।

परिशिष्ट 'क-II' - हटाया गया।

परिशिष्ट 'क-III' - हटाया गया।

परिशिष्ट 'क-IV' - हटाया गया।

परिशिष्ट ख-

1. पृष्ठ संख्या 1 पैरा 1.1, 1.2, 1.3 एस0आई0पी0 एवं आर0डी0 संशोधित
2. पृष्ठ संख्या 5 पैरा 4.6 वीडर काउन्टर ब्लाक यंत्र जोड़े गये।
3. पृष्ठ संख्या 6 पैरा 8.1 स्टेशन मास्टर लाकअप बाक्स हटाया गया।
4. पृष्ठ संख्या 8 पैरा 11 समपार फाटक हटाये गये एवं किमी0 संशोधित।
5. आर0डी0 संख्या उपमुसिदूर्ई/नि/IZN/2012/आर0डी0/11 दिनांक 19.5.2012 को आर0डी0 संख्या उपमुसिदूर्ई/नि/IZN/2012/आर0डी0/11 Alt"A" दिनांक 18.9.2012 द्वारा बदला गया।
6. पी0डी0 संख्या उपमुसिदूर्ई/नि/IZN/2012/पी0डी0/12 दिनांक 19.5.2012 को पी0डी0 संख्या उपमुसिदूर्ई/नि/IZN/2012/पी0डी0/12 Alt"A" दिनांक 18.9.2012 द्वारा बदला गया।

(के0एस0सोनाल)
मं0परि0प्र0 /इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूर्ई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मं0सि0डू0ई0/नि0/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

संख्या-इज्जतनगर/45

पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मण्डल

दोहना स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम (छोटी / बड़ी लाइन)

जारी तिथि 6.8.12

लागू तिथि 21.9.12

पुनरीक्षण तिथि Aug.-17

बड़ी लाइन के लिये हॉल्ट तथा छोटी लाइन के लिये "बी" श्रेणी, इकहरी लाइन, अन्तर्पाशन मानक III(बहु-संकेती रंगीन बत्ती वाले (MACL) सिगनलों सहित)

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(साधारण एवं सहायक नियम 8.01(1) (क) (ग), (2) (ख), 8.03(2) (क) (ख) (ग) (ii) देखें)

- टिप्पणी** : 1. संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/45 दिनांक 03.6.2008 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा ।
2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी, पढ़ा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते ।

1. स्टेशन संचालन नियम आरेख (रूल डायग्राम) :

सी० एस० टी० ई० / पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर की एस०आई०पी० संख्या NER/ IZN/ DOX/ SIP/ 2011/ VER-ZERO /10 संशोधन 'सी' पर आधारित इस स्टेशन का नियमांश संख्या उपमुसिदूर्ई/नि०/इज्जतनगर/2012/आर०डी०/11 दिनांक 19.5.2012 संशोधन 'ए' दिनांक 18.9.2012 संलग्न है, जिसमें कॉटों, सिगनलो तथा लाइनो की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कॉटो तथा लाइनो की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है ।

2. स्टेशन का विवरण :

2.1. सामान्य (स्थिति) :

दोहना स्टेशन बरेली जं० - मैलानी जं० मार्ग पर इकहरी छोटी लाइन पर "बी" श्रेणी का स्टेशन है। तथा बरेली जं० से 14.88 किमी०, तथा मैलानी जं० से 110.64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।

2.2. दोनों ओर के ब्लाक स्टेशन, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगें :

2.2.1. ब्लॉक स्टेशन -

इज्जतनगर (पूर्व दिशा में) 7.64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

भोजीपुरा (पश्चिम दिशा में) 4.43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

(बालक राम)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मुसिदूर्ई/नि/लखनऊ

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जत०

म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/45

दोहना

2.2.2. ब्लॉक स्टेशन - कोई नहीं

2.2.3 आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति :- इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच०, आई०बी०एस० स्थित नहीं है।

2.2.4 बाहरी साइडिंग :- कोई नहीं।

2.3. स्टेशन के दोनो ओर के ब्लाक खण्ड :

स्टेशनों के बीच	वह स्थान जहाँ से ब्लाक खण्ड शुरू होता है	वह स्थान जहाँ ब्लाक खण्ड समाप्त होता है
दोहना - इज्जतनगर	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या 11	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल (इज्जतनगर)
दोहना - भोजीपुरा	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या 2	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (भोजीपुरा)

2.4 ढलान यदि कोई हो : स्टेशन भवन से अप दिशा में चैनेज 381 तक समतल है तत्पश्चात 2000 में 1 की चढ़ाई है।

2.5 अभिन्यास (ले-आउट) :

अभिन्यास 2 लाइनो का है। लाइन संख्या 1, एवं 2 परिचालित लाइने है।

2.5.1. परिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०) :

(क)

परिचालित लाइन संख्या	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०)	टिप्पणी
लाइन संख्या-1	686 मीटर	प्लेटफार्म वाली लूप लाइन
लाइन संख्या-2	691 मीटर	मेन लाइन

(ख) परिचालित लाइन संख्या-2, सीधी लाइन है। परिचालित लाइन संख्या 1 एवं 2 ट्रैक सर्किटेड है। ट्रैक सर्किट अप होम सिगनल से डाउन होम सिगनल के मध्य दिया गया है। स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर लाइन के अभिधृत (आक्यूपाई) तथा साफ होने का संकेत छोटे लाल और सफेद प्रकाश के रूप में दिया हुआ है।

(ग) अप अथवा डाउन गाड़ियों किसी भी परिचालित लाइन पर/से अथवा किसी दिशा से और किसी दिशा को ली अथवा भेजी जा सकती है।

2.5.2. अपरिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०) :

यहाँ अपरिचालित लाइने नहीं है।

2.5.3 अभिन्यास (ले-आउट) में मुख्य विशेषताएं : इज्जतनगर छोर का सैण्ड हम्प मानक स्तर का नहीं है।

(आर०पी०मिश्रा)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मुसिदूई/नि/लखनऊ

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जत०

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/45

दोहना

2.6. **समपार फाटक :**

- i) स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटको की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है ।

गेट संख्या एवं श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	अन्तर्पाशित है या नहीं	संचार	गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली
परिचालन समपार फाटक						
231-सी	अप अग्रिम प्रस्थान सिग० सं० 2 तथा कौटा सं० 201A के मध्य किमी० 304/3-4	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	है	स्टेशन मास्टर दोहना एव भोजीपुरा के साथ टेलीफोन	नहीं
232-सी	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिग० सं० 11 तथा कौटा सं० 202A के मध्य किमी० 305/3-4	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	है	स्टेशन मास्टर दोहना एव भोजीपुरा के साथ टेलीफोन	नहीं
इंजीनियरिंग समपार फाटक						
कोई नहीं						

- ii) समपार फाटको के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत अनुदेशों के लिये परिशिष्ट 'क', से 'क-I' देखें।
3. **संचालन की पद्धति एवं साधन :**
अगल-बगल के ब्लाक स्टेशनो इज्जतनगर तथा भोजीपुरा से इकहरी लाइन पर "पूर्ण ब्लाक पद्धति" कार्य प्रणाली लागू है।

प्रदत्त ब्लाक यन्त्र के प्रकार	सहकारी/असहकारी	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	चाबियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	टिप्पणी
दूरभाष युक्त पुश बटन टाइप इकहरी लाइन वाला टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र इज्जतनगर तथा भोजीपुरा स्टेशनों के साथ अलग-अलग सम्बद्ध	असहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	-

(सहायक नियम 14.01(क), 14.02 से 14.04, से 14.06, 14.11, 14.12 एवं पूर्वोत्तर रेलवे की साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" देखें)

(बालक राम) (अतुल सिंह) (के०एस०सोनाल)
मुसिदूई/नि/लखनऊ मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जत० मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/45

दोहना

(विशेष रूप से सहायक नियम 14.01(क), 14.02 से 14.06, 14.01, 14.12 (i),(ii),(v) एवं पूर्वोत्तर रेलवे की सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट “ख” देखें।)

टिप्पणी : कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नहीं अपितु वह स्वयं ही विद्युत ब्लाक यन्त्रों को संचालित करता है ।

(सहायक नियम 14.02(v)] साधारण नियम 14.03 तथा साधारण एवं सहायक नियम 14.04 देखें।

4. संकेतन (Signalling) एवं अन्तर्पाशन (Interlocking) की पद्धति :

दोहना स्टेशन अन्तर्पाशन मानक III, बहु-संकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों वाला स्टेशन है तथा यहाँ परिचालित लाइन संख्या 1, तथा 2 पर ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था है। कांटो तथा सिगनलों का संचालन स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त सेण्ट्रल पैनल द्वारा किया जाता है।

प्रदत्त सिगनल :

(क) अप आगमन सिगनल (इज्जतनगर से) :-

(i) अप डिस्टेन्ट सिगनल

(ii) अप होम सिगनल संख्या 12 जं० इंडिकेटर सहित लूप लाइन संख्या 1 के लिये

(iii) अप होम सिगनल संख्या 12 जं० इंडिकेटर रहित मेन लाइन संख्या 2 के लिये

(ख) अप प्रस्थान सिगनल (भोजीपुरा को)

(i) अप प्रस्थान सिगनल संख्या 4 मेन लाइन संख्या 2 से

(ii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या 6 लूप लाइन संख्या 1 से

(iii) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या 2 ब्लाक यन्त्र के ‘ट्रेन गोइंग टू’ स्थिति से नियन्त्रित

(ग) डाउन आगमन सिगनल (भोजीपुरा से)

(i) डाउन डिस्टेन्ट सिगनल

(ii) डाउन होम सिगनल संख्या 1 जं० इंडिकेटर रहित मेन लाइन संख्या 2 के लिये

(iii) डाउन होम सिगनल संख्या 1 जं० इंडिकेटर सहित लूप लाइन संख्या 1 के लिये

(घ) डाउन प्रस्थान सिगनल (इज्जतनगर को)

(i) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या 7 लूप लाइन संख्या 1 से

(ii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या 5 मेन लाइन संख्या 2 से

(iii) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या 11 ब्लाक यन्त्र के ‘ट्रेन गोइंग टू’ स्थिति से नियन्त्रित

(ङ) पुनरावर्तक (रिपीटर) :- कोई नहीं।

4.1.(क) सभी काँटों एवं संकेतक एक केन्द्रीय स्थान से एक पैनल के माध्यम से परिचालित किये जाते हैं जिसे स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल कहते हैं। यार्ड का भौगोलिक अभिन्यास, काँटों एवं संकेतों सहित स्टेशन मास्टर पैनल पर दिया गया है। काँटों एवं सिगनलों के प्रचालन हेतु स्विच प्रदत्त है। अप एवं डाउन छोरों के लिये पृथक-पृथक दो ग्रुप पुश बटन भी दिये गये हैं।

(आर०पी०मिश्रा)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मुसिदूई/नि/लखनऊ

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जत०

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (ख) इस स्टेशन पर प्रदत्त सिगनल बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनल है।
- (ग) दोनो ओर के निकट होमद्ध सिगनलों पर लूप लाइन के लिये एक पॉक्ति में पाँच सफेद बत्ती वाले जँक्शन संकेतक दिये गये है। जँक्शन संकेतक सीधी लाइन के लिये कोई प्रकाश प्रदर्शित नहीं करेगा। एक पॉक्ति में प्रदर्शित कम से कम तीन सफेद बत्तियाँ लूप मार्ग (डाइवर्जिंग रुट) इंगित करेगी।
- (घ) अग्रिम प्रस्थान सिगनल विद्युत यन्त्र की "ट्रेन गोइंग टू" दशा से नियन्त्रित है। अग्रिम प्रस्थान सिगनल की आफ स्थिति सभी गाहियों के लिये प्रस्थान प्राधिकार होने के कारण इसके विफल होने पर पेपर लाइन क्लीयर प्रणाली लागू की जायेगी।
- (ङ) स्टेशन मास्टर, काँटों एवं सिगनलों पर स्टेशन मास्टर नियन्त्रण चाबी जो पैनल मुक्तक पाश (पैनल रिलीज लाक) को पाशित करती है, द्वारा नियन्त्रण रखता है। जब यह पाशित स्थिति में होता है, यह विद्युतीय रूप से काँटों एवं सिगनलों पर नियन्त्रण वियोजित कर देता है। जब तक यह चाबी लगाकर घुमायी न जाये, काँटों एवं सिगनलों के थम्ब स्विचों का प्रचालन अथवा ग्रुप बटनों का दबाये जाने पर कोई परिणाम नहीं देगा।
- (च) कार्यरत स्टेशन मास्टर आपातिक दशा में सम्बन्धित सिगनल स्विच को मध्य स्थिति में करके तथा सम्बन्धित पुश बटन दबाकर सिगनलों को "आन" स्थिति में वापस कर सकता है। निरस्त करने पर जब काँटा स्विच का लाक लाइट अदृश्य हो जाय तब मार्ग बदला जा सकता है।
- (छ) सम्बन्धित परिचालित लाइन के प्रस्थान सिगनल का 'पीला' संकेत दोनों दिशा में अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक शन्टिंग संचलन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। इस उद्देश्य हेतु अग्रिम प्रस्थान सिगनल के स्विच को 'आन' स्थिति में रखते हुये सम्बन्धित काँटों तथा प्रस्थान सिगनल स्विचों को प्रचालित किया जाना चाहिये।
- (ज) स्टेशन पैनल के संचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट "ख" में उल्लिखित अनुदेशों को देखें।
- 4.1.1 **काँटा स्विच संकेत :-** स्टेशन मास्टर के पैनल पर स्विच के ऊपर काँटों के सामान्य अथवा विपरीत स्थिति में पूर्णतया सैट एवं लाक होने के संकेत क्रमशः 'एन' अथवा 'आर' के रूप में दिये गये जो क्रमशः सामान्य स्थिति में सूक्ष्म सफेद प्रकाश तथा रिवर्स स्थिति में सूक्ष्म लाल प्रकाश प्रकाशित होता है। ऐसे काँटों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है। काँटा स्विच के केन्द्र में एक छोटा लाल प्रकाश जलने पर यह निर्देशित करेगा कि काँटे विद्युतीय रूप से लाक हो गये है। ऐसी स्थिति में स्विच को प्रचालित करने हेतु नहीं घुमाना चाहिए।
- 4.1.2 **ट्रैक सर्किटिंग :-** परिचालित लाइन संख्या 1, तथा 2 ट्रैक सर्किटेड है। स्टेशन मास्टर कार्यालय में पैनल पर सम्बन्धित लाइन के ट्रैक सर्किटेड भाग को अतिरिक्त मोटी रंगी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जब ट्रैक सर्किटेड भाग आक्यूपाइड/विफल होता है तब पैनल पर इस भाग पर सूक्ष्म लाल प्रकाश जलेगा। इन ट्रैक सर्किटों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है। ट्रैक सर्किट की विफलता की स्थिति में इसे आक्यूपाइड मानकर स्टेशन मास्टर द्वारा ट्रैक सर्किट रिक्त होने का सुनिश्चय भौतिक सत्यापन द्वारा करना अनिवार्य है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/45

दोहना

- 4.1.3 **स्टॉप प्लग :-** स्विच रोक प्लग पैनल के प्लग स्टोरेज स्थान पर प्रदत्त है। जब कभी सिगनल और या काँटा स्विचों के एक दिशा से दूसरी दिशा में प्रचलन को रोकना हो तो इन प्लगों को स्विचों के पास प्रदत्त छेदों में लगा देना चाहिए। ये प्लग स्टेशन मास्टर के लिये अनुस्मारक का कार्य करेगी।
- 4.1.4 **ग्रुप पुश बटन :-** दो ग्रुप पुश बटन यार्ड के दोनों छोरों के लिये नामित है। काँटों और सिगनल स्विचों को वांछित स्थिति में घुमाने के बाद इन स्विचों को दबाया जायेगा। तभी काँटों और सिगनलों का प्रचालन सम्भव हो पायेगा। सैट किये हुए मार्ग के निरस्तीकरण हेतु सिगनल स्विचों को केन्द्रीय स्थिति में वापस कर देने एवं सम्बन्धित ग्रुप बटन को दबाने पर मार्ग निरस्त हो जायेगा एवं काँटा स्विच की लाक लाइट बुझ जायेगी। तत्पश्चात मार्ग बदला जा सकता है।
- 4.1.5 **स्थायी रूप से ताला बन्द काँटें/पृथक्करण (आइसोलेशन) :**
- i) इस स्टेशन पर कोई स्थायी रूप से ताला बन्द काँटा नहीं है।
- ii) मेन लाइन संख्या 2 को लूप लाइन संख्या 1 से दोनों छोरों पर सैण्ड हम्प के द्वारा प्रथक किया गया है।
- iii) लाइन सं० 1 पर इज्जतनगर छोर का सैण्ड हम्प इंजी० विभाग द्वारा नान-स्टैण्डर्ड घोषित है।
- 4.1.6. **विद्युत चालित काँटा मशीन/ क्रैन्क हैण्डिल :**
- (क) काँटा संख्या- 201A -201B, एवं 202A-202B मोटर चालित काँटें है तथा प्रत्येक काँटें पर विद्युत काँटा मशीन लगी है। सामान्यतः ये काँटें स्टेशन मास्टर के नियन्त्रण पैनल से प्रचालित किये जाते हैं। विफलता की दशा में इन्हें स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त यन्त्र रचना से मुक्त कराये गये क्रैन्क हैण्डिल द्वारा प्रचालित किया जायेगा। इनकी सही सेटिंग सुनिश्चित करना स्टेशन मास्टर का उत्तरदायित्व है। इस दशा में काँटों का ठीक ढंग से सेट करना एवं जहाँ आवश्यक हो, पाशित करना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कार्यरत स्टेशन मास्टर का है। क्रैन्क हैण्डिल के प्रचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट “ख” तथा साधारण नियम 3.38(क) एवं (ख), 3.39 एवं सहायक नियम 3.39 (ii) देखें।

क्र०संख्या	क्रैन्क हैण्डिल संख्या	क्रैन्क हैण्डिल द्वारा नियन्त्रित काँटों की संख्या
1	जेड-1	201A - 201B,
2	जेड-2	202A - 202B,

- (ख) प्रत्येक समय जब विद्युतीय पाश संयोजन से क्रैन्क हैण्डिल द्वारा परिचालित काँटों के हस्त प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है तो इस सम्बन्ध में, इस उद्देश्य से बनायी गयी पंजिका में, कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्न प्रारूप में प्रविष्टि अवश्य अंकित की जानी चाहिए

क्रम संख्या	क्रैन्क हैण्डिल निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रैन्क हैण्डिल निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रैन्क हैण्डिल का उद्देश्य विफलता/ परीक्षण	क्रैन्क हैण्डिल निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	वीडर काउन्टर द्वारा पंजीकृत संख्या	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रैन्क हैण्डिल वापस करने की तिथि एवं समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(आर०पी०मिश्रा)
मुसिदूई/नि/लखनऊ

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जत० मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/45

दोहना

4.2 रिले रूम की चाबियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार विभाग के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हें लेने-देने की कार्य पध्दधि :-

इस स्टेशन पर रिले रूम में पूर्ण इन्टरलाकिंग की रिले स्थापित है। रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेशन मास्टर एवं एस०एण्ड टी०) द्वारा बन्द किया जाना चाहिए। इसको आवश्यकता पड़ने पर खोलने के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पांजिका पर एस०एण्ड टी० कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उद्देश्य के साथ प्रविष्टि करने के पश्चात ही स्टेशन मास्टर को रिले रूम की चाबी सौंपनी चाहिए।

4.3 विद्युत आपूर्ति (पावर सप्लाई)

विद्युत विफलता की स्थिति में ट्रैक सर्किटिंग एवं अन्य काँटा तथा सिगनल संकेतों को प्रकाशित करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में स्टेशन पर दो जनरेटर की व्यवस्था की गयी है। आपूर्ति के साधन लोकल पावर सप्लाई(राज्य विद्युत बोर्ड) एवं डीजल जनरेटर पावर सप्लाई है।

4.4 वीडर काउन्टर :- स्टेशन मास्टर पैनल पर निम्नलिखित वीडर काउन्टर प्रदत्त हैं :-

- (I). क्रेक हैण्डलो के लिए संयुक्त वीडर काउन्टर
- (ii). अप आपात्कालीन वीडर काउन्टर
- (iii). डाउन आपात्कालीन वीडर काउन्टर।
- (IV). टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र काउन्टर (इज्जतनगर एवं भोजीपुरा) के लिए अलग-अलग

5. दूर संचार :- स्टेशन मास्टर दोहना के कार्यालय में -

- i) इज्जतनगर नियन्त्रण कार्यालय से सम्बद्ध कन्ट्रोल टेलीफोन
- ii) इज्जतनगर स्टेशन के टोकेनलैस उपकरण से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
- iii) भोजीपुरा स्टेशन के टोकेनलैस उपकरण से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
- iv) पूर्व तथा पश्चिम लोकेशन बाक्स से सम्बद्ध मैगनेटो टेलीफोन
- v) ट्रैफिक समपार फाटक सं० 231/सी (दोहना -भोजीपुरा) से सम्बद्ध टेलीफोन
- vi) ट्रैफिक समपार फाटक सं० 232/सी (दोहना -इज्जतनगर) से सम्बद्ध टेलीफोन
- vii) वी०एच०एफ० सैट 25 वाट
- viii) वी०एस०एन० एल० फोन

(संचार व्यवस्था में विफलता होने पर गाड़ी संचालन कार्य प्रणाली हेतु परिशिष्ट 'ख' का पैरा 11 देखें)

(बालक राम)
मुसिदूई/नि/लखनऊ

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जत० मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

6. गाड़ी संचालन की प्रणाली :-

गाड़ियों का आगमन एवं प्रस्थान साधारण एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 3.41(i)(ख) (2), 3.42, 8.03(2), 8.10, 8.12, एवं 8.13, 4.17 में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान होगा तथा आगमन एवं प्रस्थान सिगनल "आफ" किये जायेंगे।

(1) गाड़ियों का आगमन :

जब परिचालित लाइन संख्या 1 या 2 पर गाड़ियों का आगमन कराना हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

- (क). जाँचें कि वाँछित लाइन से सम्बन्धित ट्रैक सर्किटों के लिये ट्रैक आक्यूपेन्सी बत्तियों में लाल प्रकाश तो नहीं जल रहा है।
- (ख). स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगायें और इसे ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल को प्रचालन योग्य बनायें।
- (ग). सुनिश्चित करें कि वाँछित लाइन जिस पर आगमन कराना है, वह साफ एवं बाधा रहित है। लाइन निम्न स्थान तक साफ होना चाहिए :-
- (i) **अप गाड़ियों के लिये -**
- (अ) लाइन सं० 1 पर आगमन हेतु सैण्ड हम्प तक या अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० 2 तक
- (ब) लाइन संख्या 2 पर आगमन हेतु अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या 2 तक
- (ii) **डाउन गाड़ियों के लिये -**
- (अ) लाइन सं० 1 पर आगमन हेतु सैण्ड हम्प तक या अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० 11 तक
- (ब) लाइन संख्या 2 पर आगमन हेतु डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या 11 तक
- (घ). सुनिश्चित करें कि अप गाड़ी के लाइन संख्या 1 पर सैण्ड हम्प बनाकर आगमन के लिये ट्रैफिक गेट सं० 232 या अप गाड़ी लाइन सं० 1 अथवा 2 पर मेन लाइन बनाकर लेते समय गेट सं० 231 एवं 232 को बन्द एवं लाक कर दिया गया है तथा गेट नियन्त्रण चाबी लीवर लाक में लगा दी गयी है। इससे गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर दिखायी देगा। स्टेशन गेट नियंत्रण स्विच को लाकड स्थिति में घुमाकर इसको लाकड करें।
- (ङ). सुसंगत लाइन के लिए सम्बन्धित काँटा स्विच को सम्बन्धित लाइन हेतु वाँछित स्थिति में घुमायें तथा काँटे वाँछित स्थिति में सेट हो जाने के पश्चात काँटा स्विचो के ऊपर हरा/सफेद प्रकाश संकेत जल जाना चाहिये जो इंगित करेगा कि काँटे किस स्थिति (नार्मल अथवा रिवर्स) में सैट है।
- (च). सम्बन्धित सिगनल स्विचों को वाँछित स्थिति में घुमायें तथा सम्बन्धित ग्रुप पुश बटन को भी दबायें। सम्बन्धित काँटा स्विच के केन्द्र में लाल बत्ती प्रकाशित होगी जो सूचित करेगी कि काँटे वाँछित दशा में लाक हो गये हैं एवं पैनल बोर्ड पर सम्बन्धित मार्ग पर सफेद/पीली छोटी बत्तियाँ प्रकाशित होंगी। यह इंगित करने के लिये कि ये सिगनल "आफ" है, पैनल पर सम्बन्धित सिगनलों की ऑफ स्थिति प्रकाशित हो जायेगी।

(आर०पी०मिश्रा)
मुसिदूई/नि/लखनऊ

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जत० मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जतनगर/45

दोहना

- (छ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि आने वाली गाड़ी जैसे-जैसे ट्रैक सर्किटों पर आती/जाती है वैसे-वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियाँ बुझकर लाल बत्तियाँ जल जाती हैं और जैसे ही गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार करती है वैसे ही लाल बत्तियाँ बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियाँ फिर से जल जाती हैं।
- (ज) गाड़ी का पूर्ण आगमन व कांटो को पार करके उल्लंघन चिह्न के अन्दर आ जाने के बाद पीछे के कांटो को अवरुद्ध लाइन के विपरीत सेट करें तथा क्रासिंग में दोनो ओर के कांटो विपरीत सेट करें तथा सभी संचलन पूर्ण हो जाने के बाद कांटो को उनकी सामान्य स्थिति में सेट करके पैनल कन्ट्रोल चाबी निकालकर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें। (ब्लॉक लाइन के विरुद्ध कॉटों को सेट करने के लिये सा० एवं सहायक नियम 5.19 देखें)

6.1 गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :- गाड़ी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, काँटा वाला, एवं फाटकवाला के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

6.1.1 प्रत्येक पाली में गाड़ी संचालन कर्मचारी :-

दिन की पाली :

स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
काँटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	-	02	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

सौंध्य/रात्रि पाली :

सहायक स्टेशन मास्टर	-	02	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
काँटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	-	02	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

6.1.2 लाइनों का क्लीयरेंस सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र :

कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के आगमन/प्रस्थान के लिये परिचालित लाइन का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। (साधारण नियम 3.38(ग), 3.40(3) देखें)

6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारियों का आश्वासन :-

वे सभी कर्मचारी जो किसी भी प्रकार गाड़ी संचलन से सम्बद्ध हो, अपना कार्यभार स्वतन्त्र रूप से ग्रहण करने के पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 या अधिक दिन गाड़ी संचलन से असम्बद्ध रहे हों, अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका (एश्योरेन्स रजिस्टर) में अनुमोदित प्रारूप पर एक प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से देंगे।

(सहायक नियम 5.01(19) देखें)

6.2 लाइन क्लीयर देने की शर्तें :

लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि :

- (क) सम्पूर्ण, अन्तिम पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी न आ गयी हो।
- (ख) उक्त गाड़ी के पीछे वाले होम तथा डिस्टेन्ट सिगनल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।
- (ग) लाइन, स्टेशन पर प्रत्याशित गाड़ी के निकटतम सिरे के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ न हो।

(बालक राम) (अतुल सिंह) (के०एस०सोनाल)
मुसिदूई/नि/लखनऊ मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जत० मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जतनगर/45

दोहना

(साधा० एवं सहा० नियम 8.03(2)(क) (ख) (ग) (II) तथा सहा० नियम 8.03 (i), to (iii) देखें)

6.2.1 स्टेशन पर गाड़ी के आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्तें :-

विचलन :- सामान्य नियम 3.04 (i)(b) के अनुसार गाड़ियों के आगमन के लिये पर्याप्त दूरी सामान्यतः गाड़ी रुकने के स्थान से मापी गयी है।

(क) लाइन संख्या 1 के लिये अप प्रस्थान सिगनल संख्या 6 से

(ख) लाइन संख्या 1 के लिये डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या 7 से

6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरुद्ध काँटों को अन्य लाइन के लिये सैट करना

जब स्टेशन पर कोई चालू लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा क्रॉसिंग/प्रीसीडेंस के कारण अवरुद्ध हो, तो दोनों छोरों के काँटों अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट किये जायें।
(साधारण एवं सहायक नियम 5.19(1)(a)(ii)(b)(ii) (2)(5)(i) को देखें)

6.2.1.2 अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन

जब स्टेशन पर किसी अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी को प्राप्त करना हो, तो साधारण नियम 5.09(1)(a) (b)(c), (2)(c), (3)(a)(b) (i) तथा सहायक नियम 5.09(1), (a) (b)(c), के अनुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करें।

6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन :-

इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-

इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

6.2.1.5 कॉमन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-

इस स्टेशन पर कोई कॉमन स्टार्टर प्रदत्त नहीं है।

6.2.1.6 सामान्य एवं सहायक नियमों का सन्दर्भ देते हुए अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना - कोई नहीं।

6.3 आगमन सिगनलो को "आफ" करने की शर्तें :

क) परिचालित लाइन जिस पर गाड़ी का आगमन कराना है, साफ एवं बाधा रहित होनी चाहिये। इसका दृष्टिक संकेत स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध है।

(ख) गाड़ी संचालन को प्रभावित करने वाले सभी सम्मुख काँटों वाँछित लाइन के लिये सेट और पाशित है।

(ग) लाइन, जिस पर गाड़ी लेनी है, सम्मुख काँटों के आगे गाड़ी के सम्मुख पड़ने वाले अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ है।

(घ) स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित क्लीयर संकेत उपलब्ध है।

(बालक राम)
मुसिदूई/नि/लखनऊ

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जत०

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 2 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जतनगर/45

दोहना

(ड़) अप गाड़ी के लाइन सं० 1 पर सैण्डहैम्प बनाकर आगमन के लिए ट्रैफिक गेट संख्या 232/C अथवा 1 या 2 पर मेन लाइन बनाकर लेते समय ट्रैफिक गेट सं० 231/C एवं 232/C तथा डाउन गाड़ी को लाइन संख्या 1 व 2 पर मेन लाइन बनाकर लेते समय गेट सं० 231/C एवं 232/C को बन्द एवं लाक कर दिया गया है। सम्बन्धित गेट नियन्त्रण चाबी लीवर लाक में लगा कर धुमा दी गयी है। इससे गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर दिखायी देगा।

6.3.1 “आफ” किये गये सिगनल को पुनः “आन” करने के लिये स्टेशन मास्टर का उत्तरदरायित्व

किसी गाड़ी के सम्पूर्ण आगमन के बाद सभी सम्बन्धित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाय। आपात स्थिति में सिगनल स्विक को सामान्य स्थिति में करके “आफ” किये गये सिगनल को “आन” स्थिति में किया जा सकता है। सहायक नियम 3.38(iv) देखें।

6.4 गाड़ियों का एक साथ आगमन / प्रस्थान, गाड़ियों की क्रासिंग तथा गाड़ियों को प्राथमिकता देना-

(क) लाइन संख्या 1 इज्जतनगर छोर का सैण्ड हम्प मानक स्तर का नहीं है, अतः इस स्टेशन पर गाड़ियों के प्रवेश/प्रस्थान की अनुमति निम्न प्रकार है।

अप गाड़ी का लाइन सं० 1 पर आगमन

और

अप गाड़ी का लाइन सं० 2 से प्रस्थान

(ख) इस स्टेशन पर सवारी गाड़ी के ब्रेक यान को एक दूसरे के सम्मुख करके क्रासिंग की अनुमति है। (साधारण नियम 5.01(14) देखें)

6.5 गाड़ियों का पूर्ण आगमन :-

(क) स्टेशन से बिना रुके जाने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि गाड़ी के एल0वी0बोर्ड/फ्लैशर टेल लैम्प का स्वयं निरीक्षण करके सुनिश्चित करें कि गाड़ी पूरी आ गयी गयी है / चली गयी है।

(ख) रुकने वाली डाउन गाड़ियों के मामले में यातायात समपार 231/सी तथा अप गाड़ियों के मामले में 232/सी पर कार्यरत गेटमैन गाड़ी के अन्तिम वाहन पर लगे LV/TL को देखकर कार्यरत स्टेशन मास्टर को गाड़ी के पूर्ण आगमन की सूचना प्राईवेट नं० के साथ देगा तथा स्टेशन मास्टर एवं गेटमैन इसे अपने-अपने लॉग रजिस्टर में लिखेंगे। गाड़ी अपूर्ण आने की स्थिति में तथा अप गाड़ी के मामले में कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी का पूर्ण आगमन ट्रेन इनटेक्ट रजिस्टर टी/1410 पर गार्ड से रिकार्ड करायेगा। गाड़ी के गार्ड से टी/1410 पर सम्पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र मिल जाने पर स्टेशन मास्टर ब्लाक यन्त्र पर लाइन क्लोज करेगा। (साधारण एवं सहायक नियम 4.17 देखें)

6.6 गाड़ियों का प्रस्थान :- जब गाड़ियों का प्रस्थान कराना हो, कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि -

(क) संलग्न अगले ब्लाक स्टेशन से लाइन क्लीयर प्राप्त करें और -

(ख) जाँचें कि आक्यूपाइड भाग के अतिरिक्त सम्बन्धित ट्रैक सर्किटों के लिये ट्रैक आक्यूपैन्सी बत्तियों में लाल प्रकाश नहीं जल रहा है।

(ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त तालें में लगाये ओर ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल प्रचालन योग्य बनायें।

(रितेश गुप्ता)

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

- (घ) जब मार्ग सेट एवं पाशित हो जाये एवं पैनल पर सम्बन्धित संकेत उपलब्ध हो तथा अप गाड़ी के मामले में गेट संख्या 231 एवं डाउन गाड़ी के मामले में गेट संख्या 232 सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द है सुनिश्चित करके गेट नियंत्रण चाबी को लीवर लाक में लगाकर घुमा दिया गया है। जिससे फाटक के बन्द होने के संकेत पैनल पर दिखाई देंगे। स्टेशन मास्टर पैनल पर गेट नियंत्रण स्विच को लाकड स्थिति में घुमायें।
- (ङ) गाड़ी के प्रस्थान हेतु मार्ग सेट करने के लिये सम्बन्धित काँटा स्विच को वाँछित स्थिति में घुमायें।
- (घ) अग्रिम प्रस्थान सिगनल तथा प्रस्थान सिगनल के स्विचों को वाँछित स्थिति में घुमायें और सम्बन्धित ग्रुप बटन को दबायें। तब उस मार्ग पर जिसके लिये सिगनल दिये गये है एक सफेद/पीला प्रकाश प्रकट होगा। अग्रिम प्रस्थान एवं प्रस्थान सिगनल “आफ” संकेत प्रदर्शित करेंगे जो पैनल पर इंगित होगा। इसके पश्चात कार्यरत स्टेशन मास्टर डिपार्टिंग बेल बजाकर गाड़ी के गार्ड को गाड़ी चलाने के लिये प्राधिकृत करेगा।
- (छ) गाड़ी के द्वारा ट्रैक सर्किटों का अभिधारण होने पर सम्बन्धित ट्रैक सर्किटों के लिये ट्रैक आक्यूपैन्सी बत्ती (लाल) जल जानी चाहिये और जब गाड़ी इन पर से गुजर कर इनको साफ कर दे तो बुझ जानी चाहिये।
- (ज) कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद कि गाड़ी पूरी चली गयी है तथा काँटों एवं उल्लंघन चिन्हों को साफ कर दिया गया है, काँटों एवं सिगनल स्विचों को सामान्य दशा में वापस कर देना चाहिये तथा गेट नियंत्रण स्विच को रिलीज स्थिति में करके सम्बन्धित समपार को खोलने हेतु प्राधिकृत करें।
- (झ) ट्रैक सर्किट की विफलता अथवा ट्रैक सर्किट बल्बों के फ्यूज होने पर परिचालित लाइन का साफ होना कार्यरत स्टेशन मास्टर स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2 प्रस्थान सिगनल “आफ” करने की शर्तें :

- (क) उस ब्लाक स्टेशन से जिस को गाड़ी भेजनी है, लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो।
- (ख) प्रस्थान हेतु मार्ग सेट एवं पाशित कर दिया गया हो।
- (ग) स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर सम्बन्धित साफ संकेत उपलब्ध हो।
- (घ) सम्बन्धित यातायात/इंजीनियरिंग समपारो को गेट परिशिष्ट के निर्देशानुसार सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करा दिया गया हो।

6.6.1 सतर्कता आदेश (T/409) जारी करना :-

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरो जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी, उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पड़ने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनो पर और उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशो के अन्तर्गत निर्धारित है, ड्राइवर को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 4.09 देखें)

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०
इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/निर्माण
लखनऊ

(के०एस०सोनाल)

मं० परि०प्र०/सा०
इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्चा सं० 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जतनगर/45

दोहना

6.7. गाड़ियों का बिना रुके सीधे जाना (रन-थ्रू) :

- (क) गाड़ियों को परिचालित लाइन संख्या 1, एवं 2 से साधारण नियम 4.11 एवं अन्य प्रभावी गति प्रतिबन्धों के आधीन बिना रुके सीधे जाने की अनुमति है।
- (ख) यदि यह आवश्यक हो कि कोई गाड़ी लूप लाइन संख्या-1 से बिना रुके 15 किमी० प्रति घन्टा की प्रतिबन्धित गति से सीधे जायेगी तो होम सिगनल स्विच के साथ-साथ अग्रिम प्रस्थान तथा प्रस्थान सिगनलों के सिगनल स्विचों को भी प्रचालित कर देना चाहिये किन्तु स्टार्टर सिगनल ऑफ आस्पैक्ट तभी ग्रहण करेगा जब गाड़ी सम्बन्धित लाइन के बर्थिंग ट्रैक पर आ जायेगी।

6.8 विफलता के दौरान कार्य पध्दति :- काँटों, एवं सिगनलों के विफल हो जाने की दशा में, साधारण एवं सहायक नियम 3.69(3), 3.70(1)(3), 3.68(1)(ग) सहायक नियम 3.39(ii) में उल्लिखित पध्दति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना एवं सम्मुख एवं अनुमुख काँटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाड़ी के ड्राइवर को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सा० एवं सहायक नियम 3.49(2)(बी) के अनुपालन में स्टेशन के समस्त सिगनल कलर लाइट होने के कारण दिन एवं रात्रि में लगातार जलायें जाये। यदि लाइन क्लीयर देते समय सिगनल को प्रकाशित रखना सम्भव न हो सके तो लाइन क्लीयर देने के पूर्व स्टेशन मास्टर सा० एवं सहायक नियम 3.68 से 3.71 तक वर्णित कार्यविधि का अनुपालन किया जाये। ब्लाक यन्त्र विफल हो जाने पर साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 'घ' के नियम 2 से 4 एवं 7 (i)(ii), तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरूद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन साधारण एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।

6.9 ट्रालियों / मोटर ट्रालियों / सामग्री लारियों की कार्य प्रणाली :-

- (क) मोटर ट्राली को गाड़ियों के संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पध्दति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर ही संचालित किया जायेगा।
- (ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली का अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये।
- (ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लीयर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलों को 'आफ' स्थिति में कर दिया जायेगा गाड़ी के पीछे आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलों को 'आफ' करने की आवश्यकता नहीं है।
- (घ) टोकेनलैस प्रखण्ड पर मोटर ट्राली चलाने के समय चूँकि एडवॉस स्टार्टर को आफ नहीं किया जा सकता है, अतः ऐसी स्थिति में स्टेशन के इन्टरलाक समपारों को नान-इन्टरलाक मानते हुए मोटर ट्राली को प्रस्थान प्राधिकार सौंपने से पूर्व गेटमैन से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान अवश्य ही किया जाय। (साधारण एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।)

7. लाइन अवरूद्ध होना :- साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नहीं है। किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरूद्ध हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरूद्ध की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :-

1. स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरूद्ध हो, उसका समुचित विवरण लिखेगा। तथा नियंत्रक से प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान करेगा।
2. उस लाइन से सम्बन्धित काँटें विपरीत सेट करेगा।

(बालक राम)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मुसिदूई/नि/लखनऊ मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जत० मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जतनगर/45

दोहना

3. चार्ज सौपने वाला स्टेशन मास्टर, कार्यमुक्त करने वाली स्टेशन मास्टर की व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा निलख नहीं दिया जाता है, कार्य पर आने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।
4. जब परिचालित लाइन साफ हो जाये तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाडी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरोध हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखें।)

7.1 स्टेबुल वाहन/वाहनों/लोड की सिक्थोरिंग –

जब परिचालित/अपरिचालित लाइन वाहन/वाहनों/लोड द्वारा अवरुद्ध की जाये तो, स्टेशन पर खडे वाहनों (Stabled load) के संबंध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनों को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशों के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है। वाहन/वाहनों/लोड को दोनो छोरों पर कम से कम एक-एक सेपटी चेन से बांध दिया जाये तथा दोनों छोरों पर कम से कम लकड़ी के दो-दो गुटके भी लगाये जायें।

- (i) सभी वाहनों के साथ प्रदत्त ब्रेकों को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रेक में वाहनों को अवश्य जोडा जाये। जब परिचालित लाइन पर रेक खडा हो, तो हर रेक में वाहनों का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनों के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहाँ ब्रेक वाहन है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनों के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेगे। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रेक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरों का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।
- (ii) नये प्रकार के बोगी रेकों में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढक सकते है। ये स्टाक खडा करके भी 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढकने का वैसे ही खतरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बों के 133 में 1 की ढलान पर लुढकने का खतरा रहता है। इन वैगनों को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनों पर खडा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा। (वाहन/वाहनों/लोड की सिक्थोरिंग नियम अनुरूप कर दिया गया है इसकी पुष्टि में गाड़ी नियंत्रक से प्राइवेट नम्बर का अदान-प्रदान करके टीएसआर तथा सिक्थोरिंग हेतु अनुरक्षित पंजिका में समय, तिथि एवं विवरण के साथ लाल स्याही से प्रविष्टि करेगा।)

टिप्पणी –बी0ओ0एक्स0, बी0ओ0बी0एस0, बी0ओ0आई0, बी0आर0एच0 तथा कुछ नये कोचिंग वाहन रोलर बियरिंग लगे स्टाक के उदाहरण है। जब स्टेशन पर ऐसे रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक खडे (स्टेबल) हो तो, निम्नलिखित सावधानियों बरतनी आवश्यक है –

- (क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाये और ताला लगाया जाये।
- (ख) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हे पूरी तरह अवश्य कसा जाये।
- (ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनों के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।
- (घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोर्टर अथवा कॉटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित किये जाने चाहिये।

2. **जहाँ शॉटिंग आवश्यक हो, निम्नलिखित सावधानियाँ बरती जाये :-**

- (क) जब अकेले रोलर बीयरिंग लगे हुए स्टाक की शॉटिंग की जा रही हो तो अधिकतम संघटन गति (Impact Speed) प्रति घन्टा 5 किमी० से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(बालक राम)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मुसिदूर्ई/नि/लखनऊ

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/45

दोहना

(ख) जब रोलर बीयरिंग लगे हुए एक साथ जोड़ में पाँच वाहनों की शंटिंग की जा रही हो, तो अधिकतम प्रभावी संघटन गति 2.4 किमी० प्रति घन्ट से अधिक नहीं होनी चाहिए।

साधारण एवं सहायक 5.23 में निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8. शन्टिंग :

शन्टिंग सम्बन्धी नियमों के सन्दर्भ हेतु साधारण एवं सहायक नियम 8.09, 8.10, 8.13, 8.14 एवं 8.15 देखें।

8.1. ब्लाक खण्ड साफ होने पर शन्टिंग : (आगमन अनुमति देने से पूर्व)

- (क) प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुये शन्टिंग की अनुमति है :-
- स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
 - सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' की दशा में हों।
 - जिस ब्लाक खण्ड में शन्टिंग की जानी है, वह आने वाली गाड़ी से खाली हो।
 - चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल तक शन्टिंग करने हेतु लिखित अनुमति दी जाय।

(ख) प्रथम रोक सिगनल (होम) के बाहर शन्टिंग :

निम्नलिखित शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-

- स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
- सम्बन्धित सिगनल 'आन' की दशा में हों।
- सम्बन्धित ब्लाक खण्ड को ब्लाक बैक कर दिया गया हो, तथा
- चालक को शन्टिंग आदेश T-806 के साथ सम्बन्धित दिशा की शंटिंग चाबी भी दिया जाना चाहिये

8.2. आती हुयी गाड़ी की दिशा में शन्टिंग : (आगमन अनुमति देने के बाद)

(क) सम्बन्धित होम एवं अग्रिम प्रस्थान सिगनलों को "आन" स्थिति में रखते हुये बाह्यतम सम्मुख कॉटो तक शन्टिंग की अनुमति है।

(ख) बाह्यतम सम्मुख कॉटों से बाहर अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुये शन्टिंग करने की अनुमति है :-

- स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
- होम सिगनल की दृश्यता बाधित न हों।
- सम्बन्धित होम सिगनल एवं अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में हो, तथा
- गाड़ी आने के अनुमानित समय से 10 मिनट पूर्व ऐसी शन्टिंग बन्द कर दी जाय।

8.3. जाती हुयी गाड़ी के पीछे शन्टिंग :

प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-

(अतुल सिंह)

(आर०पी०मिश्रा)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०
इज्जतनगर

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/निर्माणमं०
लखनऊ

परि०प्र०/सा०
इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्चा सं० 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जतनगर/45

दोहना

- i) जाती हुयी गाड़ी होम सिगनल (विपरीत दिशा) को पार कर गयी हो तथा उसकी यात्रा जारी हो ।
- ii) सभी सम्बन्धित सिगनल "आन" स्थिति में हों ।
- iii) होम सिगनल की दृश्यता स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने से बाधित न हो ।
- iv) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
- v) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं परिस्थितियों से अवगत कराते हुये होम तक शन्टिंग करने हेतु लिखित अनुमति T-806 पर तथा शंटिंग चाबी भी दी जाय।

8.4.1. **शन्टिंग पर प्रतिबन्ध** : घने कोहरे एवं धुन्ध में स्टेशन सैक्शन के बाहर शंटिंग न की जाय।

8.4.2. **शन्टिंग का कोई विशेष पहलू** : स्टेशन मास्टर कार्यालय से अप एवं डाउन शंटिंग चाबियों अलग-अलग 'ई' प्रकार के लाक और लीवर लाक एसेम्बली में लाक रहती है। इन शंटिंग चाबियों को जिनकी आवश्यकता अग्रिम प्रस्थान सिगनल एवं विपरीत होम सिगनल के मध्य तक शंटिंग करने पर पड़ती है, टोकनलैस यन्त्र "लाइन क्लोज्ड" अथवा टी०जी०टी० स्थिति में तथा सम्बन्धित आगमन व प्रस्थान सिगनल आन पोजीशन में होने पर ही शंटिंग चाबी 'ई' टाइप लाक से निकल सकेगी। रिलीज़ होने पर इन चाबियों को शंटिंग प्राधिकार के रूप में चालक को दिया जाय।

2. भोजीपुरा की ओर होम सिगनल तक शंटिंग करते समय गेट सं० 231/C तथा इज्जतनगर की ओर होम सिगनल तक शंटिंग करते समय गेट सं० 232/C को बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व शंटिंग प्रभारी को होगा।

3. **शंटिंग के दौरान सम्बन्धित गाड़ी के गार्ड का निम्नलिखित उत्तरदायित्व होगा :-**

- (i) शंटिंग कार्य का सामान्य पर्यवेक्षण
- (ii) सही-सही बैगनों / वाहनों को जुड़वाना एवं कटवाना तथा सही मार्शलिंग सुनिश्चित करना
- (iii) शंटिंग समाप्त होने के पश्चात बैगनों / वाहनों के कपलिंग की जाँच करना
- (v) शंटिंग के दौरान हाथ संकेत दिखाना

(सहायक नियम 5.14 (1) एवं 3.39 (ii))

8.5. **स्टेशन यार्ड/मालगोदाम से निकलने वाली साइडिंग में शन्टिंग** : कोई नहीं।

8.6. **आउट लेइंग साइडिंग की कार्य विधि** :- कोई नहीं।

9. **असामान्य परिस्थितियाँ** :

(क) **असामान्य कार्य संचालन के दौरान गाड़ियों के संचालन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया** :

ट्रेन सिगनलिंग उपकरणों के विफल हो जाने पर लाइन क्लीयर संदेश ब्लाक टेलीफोन/कन्ट्रोल टेलीफोन /अथवा बी०एस०एन०एल०फोन अथवा वी०एच०एफ०सैट द्वारा ही दिया जाना चाहिये ।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 14.13 तथा 14.25 तथा साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" भी देखें)

(अतुल सिंह)

(बालक राम)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी० मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/निर्माण
इज्जतनगर लखनऊ

मं० परि०प्र०/सा०
इज्जतनगर

टिप्पणी :

1. ब्लाक टेलीफोन यन्त्र अथवा अथवा बी०एस०एन०एल०फोन अथवा वी०एच०एफ०सैट से लाइन क्लीयर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है, क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से सम्पर्क स्थापित हो जाने की सम्भावना रहती है ।
- 2.(क) नियन्त्रक के माध्यम से अथवा बी०एस०एन०एल० से लाइन क्लीयर मॉगने वाला स्टेशन मास्टर तब यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशन मास्टर बोल रहा है, अपने स्टेशन, जहाँ से लाइन क्लीयर मॉगा जा रहा है, पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय बतायेगा। उसी प्रकार दूसरे सिरे वाला स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय लाइन क्लीयर मॉगने वाले स्टेशन मास्टर को बतायेगा ।
- 2.(ख) **वी०एच०एफ०सैट के द्वारा लाइन क्लीयर लेते एवं देते समय निम्न लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा :-**
 - अ) वी०एच०एफ०सैट द्वारा लाइन क्लीयर मॉगने/ देने वाला स्टेशन मास्टर अन्तिम आने वाली (तीन गाड़ियों के लाइन क्लीयर प्राप्त करने एवं ब्लाक खण्ड में प्रवेश करने तथा खाली करने के समय तथा प्राइवेट नम्बर को बतायेगें।
 - ब) लाइन क्लीयर तभी लिया /दिया जाय जब वी०एच०एफ०सैट की आवाज स्पष्ट हो। यदि आवाज स्पष्ट नहीं है, अथवा इन्डक्शन या डिस्टरबैस है, तो इसका प्रयोग न किया जाय।
 - स) जब वी०एच०एफ०सैट पर लाइन क्लीयर लेने/देने में कोई सन्देह हो तो इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर/सस्टेमा० संरक्षित कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये उत्तरदायी है।
 - द) वी०एच०एफ०सैट पर केवल तीन गाड़ियों का लाइन क्लीयर लिया/दिया जा सकता है। तत्पश्चात खण्ड के यातायात निरीक्षक या सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर या निकट के सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर की उपस्थिति में ही लाइन क्लीयर लिया / दिया जाय।
- 2.(ग) लाइन या किसी गाड़ी की दुर्घटना, असामान्य घटना या संचार साधनो की विफलता या व्यवधान की दशा में या किसी आपात स्थिति में स्टेशनो के मध्य गाड़ियों का संचालन विशेष निर्देशानुसार होगा। (साधारण एवं सहायक नियम 6.01 से 6.11 देखें)
3. जब कभी किसी मोटर आपरेटेड काँटों पर सम्मुख या अनुमुख दिशा में कोई सिगनल रहित संचलन हुआ हो, तो उक्त काँटों के उपयुक्त संचलन की जाँच हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर उक्त काँटों को सेट करने की सामान्य एवं विपरीत दिशाओ के सम्बन्ध में ठीक संकेत मिल रहा है, केवल तभी उन काँटों पर अगले संचलन की अनुमति देगा। ऐसे परीक्षणों का अभिलेख कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन डायरी में अंकित किया जाना चाहिये।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०
इज्जतनगर

(आर०पी० मिश्रा)
म० सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/नि०
लखनऊ

(के०एस० सोनाल)
म०परि०प्र०/सामान्य
इज्जतनगर

- (ख) **क्रैन्क हैण्डल द्वारा कॉटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्यविधि :-**
परिशिष्ट 'ख' के पैरा 9 के अनुसार कार्य किया जायेगा।
- (ग) **कॉटों, ट्रेक सर्किट/एक्सल काउन्टर और अन्तर्पाशन के खराब हो जाने पर रिपोर्ट करना :-**
संकेतन परिशिष्ट 'ख' का पैरा 14 देखे।

9.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता :

1. संचार साधनों की पूर्ण विफलता का अर्थ है :-

साधारण और सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट 'ख' में दिये गये निम्नलिखित संचार साधनों में से किसी के द्वारा दूसरे छोर पर स्थित ब्लाक स्टेशन से सम्पर्क स्थापित करने में असफलता जैसे-

- (क) ब्लाक उपकरण, ट्रेक सर्किट या एक्सल काउन्टर।
(ख) ब्लाक उपकरणों से जुड़े टेलीफोन,
(ग) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जुड़े स्थिर फोन, यदि उपलब्ध हैं।
(घ) स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटोफोन या बी०एस०एन०एल०फोन
(ङ) नियन्त्रण दूरभाष,
(च) वी० एच० एफ० सेट

2. **इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूरी तरह अवरुद्ध हो जाने पर गाड़ी संचालन :**

किसी ब्लाक खण्ड में गाड़ी को सीधे भेजने से पहले निम्न के द्वारा संचार खोलना चाहिये :-

- (क) खाली इंजन (लाइट इंजन) द्वारा।
(ख) गाड़ी के इंजन द्वारा।
(ग) मोटर ट्राली के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।
(घ) ट्राली, के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।

टिप्पणी :- संचार खोलने के लिये पूरी गाड़ी नहीं भेजनी चाहिये।

3 संचार खोलने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी -

क्रम	प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर	प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर
1.	संचार खोलने के लिये जा रहे इंजन के चालक या ट्राली के प्रभारी को निर्धारित प्रपत्र टी/ बी 602 'इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित होने पर संचार साधन चालू करने के लिये प्राधिकार' सौंपा जायेगा जिसमें निम्नलिखित समावेशित होगा	निर्धारित सीटी कोड को सुनने पर या आगमन सिगनल को "टेक आफ" करने की सूचना मिलने पर आगमन सिगनलों को 'टेक आफ' करेगा या लिखित प्राधिकार टी-369,3बीद्ध भेजकर वाहन को पायलट करते हुए अन्दर आने देगा। अन्दर आने पर चालकप्रभारी से टीधबी 602 और टीधई602 प्राप्त करेगा।
(क)	लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार	
(ख)	सतर्कता आदेश जिसमें वह गति अंकित होगी जिस पर प्रभावित ब्लाक खण्ड में इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता है।	
(ग)	अन्तिम रोक सिगनल को "आन" स्थिति में पार करने का प्राधिकार।	

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०
इज्जतनगर

(आर०पी० मिश्रा)
मं० सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/नि०
लखनऊ

(के०एस० सोनाल)
मं०परि०प्र०/सामान्य
इज्जतनगर

क्रम	प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर	प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर
(घ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश जिसमें प्रतीक्षारत गाड़ी के लिये लाइन क्लीयर के लिये कहा जायेगा ।	
(ङ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमें इंजन के खाली या किस गाड़ी के साथ या मोटर ट्राली के अकेले चलकर या गाड़ी में लादकर वापस आने के लिये अनुमति दी गयी हो ।	
2.	यदि प्रेशक स्टेशन की ओर से गाड़ियों का फूलो अधिक हो तो प्रतीक्षारत गाड़ी के पीछे जाने वाली गाड़ियों का लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश भी प्राधिकार टी / ई 602 पर भर कर भेजा जायेगा ।	2. इंजन या स्वचालित वाहन को लौटने के लिये दिशा के अनुसार 'सशर्त लाइन क्लीयर टिकट' टी/जी 602 या टी/एच 602 दूसरे स्टेशन पर प्रतीक्षारत गाड़ी/गाड़ियों के लिए 'सशर्त लाइन क्लीयर संदेश' प्राधिकार टी/एफ 602, अपने स्टेशन से जाने वाली गाड़ियों के लिए लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश टी/ई 602 तथा अपने स्टेशन के अंतिम रोक सिगनल को पार करने के लिए टी 369 (3बी) एवं खण्ड में प्रभावी सतर्कता आदेश टी 409 पर लिखकर चालक/प्रभारी को सौंपे जायेंगे।

टिप्पणी :

- (क) संचार खोलने के लिये इंजन / स्वचालित वाहन भेजने के पश्चात उसके भेजने के समय से उसके लौटने के समय तक, सबसे बाहर के सम्मुख काँटों के आगे लाइन को अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
- (ख) एक ही दिशा में 30 मिनट के अन्तराल में एक दूसरे के पीछे एक से अधिक गाड़ियों चल सकती है यदि इस मामले में बाद वाली सभी गाड़ियों के लिये अग्रिम लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो। सभी गाड़ियों के चालकों को दिशा के अनुसार 'सशर्त लाइन क्लीयर टिकट' प्राधिकार टी/जी 602 या टी/एच 602 सौंपा जायेगा। इस प्राधिकार पर आगे जाने वाली गाड़ी और पीछे जाने वाली गाड़ियों का विवरण प्रास्थान समय के साथ अंकित किया जायेगा।

जब कोई गाड़ी पीछा कर रही हो तो उसका चालक कड़ी निगरानी रखेगा, जब दृश्यता साफ हो तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा और जब दृश्यता साफ न हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे कम गति से आगे बढ़ेगा।

4. सामान्य कार्य संचालन पुनः चालू करने के लिये सावधानियों :

- (क) किसी भी संचार साधन के फिर से चालू हो जाने पर प्राधिकार टी&आई 602 पर संचार साधन चालू होने के संदेश का आदान प्रदान किया जायेगा।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०
इज्जतनगर

(आर०पी० मिश्रा)
मं० सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/नि०
लखनऊ

(के०एस० सोनाल)
मं०परि०प्र०/सामान्य
इज्जतनगर

(ख) किसी भी तरह से संचार साधर फिर से चालू हो जाने पर यह सुनिश्चित किया जाय कि सामान्य काम-काज शुरू होने से पहले बिना लाइन क्लीयर आगे बढ़ने का प्राधिकार ले चुकी या सशर्त लाइन क्लीयर टिकट ले चुकी गाड़ी खण्ड पर न हों। ऐसे सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जो जारी किये जा चुके हों परन्तु उनके आधार पर गाड़ियां संचालित न हुई हों को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

9.2. दोहरी लाइन पर अस्थायी रूप से इकहरी लाइन का संचालन : कुछ नहीं।

9.3. बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों की सहायतार्थ गाड़ियों का प्रस्थान :

अवरोध की सही स्थिति सुनिश्चित करने के बाद प्रेषक स्टेशन का स्टेशन मास्टर आक्यूपाइड ब्लाक सेक्शन में राहत इंजन/गाड़ी ले जाने के लिए प्राधिकार टी/ए 602 के निर्धारित फार्म पर चालक को सौंपेगा।

विशेष रूप से सहायक नियम 6.02, 6.08 (i) (ii) (iii), 6.09 (ii) (iii) (1) (2) (3) देखें।

9.4. विद्युत शक्ति (पावर) की आपूर्ति व्यवस्था और सिगनलों को प्रकाशित करने के अनुदेश :

(क) प्रायः स्टेशन पर उपलब्ध व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति द्वारा रंगीन बत्ती वाले सिगनल प्रकाशित होते हैं।

(ख) जब मुख्य आपूर्ति उपलब्ध नहीं रहेगी तब विद्युत इस उद्देश्य के लिये लगे डीजल जनरेटर से उपलब्ध करायी जायेगी। व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति के विफल होने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर जनरेटर पैनल पर प्रदत्त प्रचालन पुश बटन को दबाकर अथवा हैण्डल के माध्यम से डीजल जनरेटर चालू करवायेगें। जब जनरेटर चालू होता है, स्वतः प्रकाश पद्धति से सम्बद्ध हो जाता है।

(ग) जब मुख्य व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति पुनः उपलब्ध हो जाती है, कार्यरत स्टेशन मास्टर डीजल जनरेटर को रुकवा देंगे। जनरेटर के रुक जाने पर मुख्य आपूर्ति स्वतः पद्धति को पोषित करने लगेगी।

(घ) डीजल जनरेटर को आवश्यकता से अधिक गर्म होने से बचाने के लिये उसे एक बार में चार घंटे से अधिक नहीं चलाना चाहिये। यद्यपि चेतावनी हूटर इस संकेत के लिये लगा हुआ है कि जनरेटर चार घंटा चल चुका है। फिर भी कार्यरत स्टेशन मास्टर का समय पर चौकसी रखने का उत्तरदायित्व है।

(ङ) एक डीजल जनरेटर को चार घंटे चला लेने के उपरान्त आवश्यकता पड़ने पर स्टेशन पर प्रदत्त दूसरे जनरेटर को चलाया जाना चाहिए। अगर मुख्य व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति विफलता जारी रहती है तो दोनो जनरेटरों को इसी क्रम में चलाया जा सकता है।

(च) इस उद्देश्य के लिये स्टेशन मास्टर एक पंजिका रखेंगे जिसमें व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति की विफलता और पुनः आपूर्ति का समय तथा डीजल जनरेटर के चलने के घंटों के मीटर की रीडिंग स्टेशन मास्टर द्वारा अंकित की जायेगी।

(छ) कार्यरत स्टेशन मास्टर प्रतिदिन 8.00 बजे डीजल जनरेटर को 10 मिनट चलाकर उसके संचालन सम्बन्धित परीक्षण का उल्लेख लाग बुक में करेंगे। स्टेशन मास्टर निम्न प्रारूप पर डीजल तेल उपयोग का विवरण डीजल तेल पंजिका में जनरेटर चलने के घंटों के साथ ही साथ रखेंगे।

(अतुल सिंह)

(आर०पी० मिश्रा)

(के०एस० सोनाल)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी० मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/नि०
इज्जतनगर

लखनऊ

म०परि०प्र०/सामान्य
इज्जतनगर

प्रारूप**1. व्यवसायिक विद्युत विफलता एवं जनरेटर प्रचालन :**

क्रम सं०	तिथि	गाड़ी संख्या	कमर्शियल पावर सप्लाई विफलता			जनरेटर रनिंग				टिप्पणी
			विफलता का समय	आपूर्ति का समय	कुल समय	स्टार्ट करने का समय	बन्द करने का समय	कुल समय	मीटर रीडिंग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12

2. डीजल का उपयोग :

क्रम संख्या	दिनांक	कितना डीजल प्राप्त हुआ	जनरेटर का कुल रनिंग समय	डीजल तेल की कुल खसपत	शेष डीजल तेल	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

10. दृश्यता परीक्षण लक्ष्य :

- (क) **अप छोर** : दिन एवं रात्रि में अप प्रस्थान सिगनल संख्या 4 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से देता हो।
- (ख) **डाउन छोर** : दिन एवं रात्रि में डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या 5 का प्रकाश जैसा कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से देता हो।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 3.61(2)(क) देखें)

11. **इस स्टेशन के आवश्यक उपस्कर** : परिशिष्ट "ड" देखें।

12. **कोहरे के समय बुलाये जाने वाले फाग सिगनलमैनो के नाम** :

कोहरे के समय फॉग सिगनल मैन के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों के नाम की सूची उनके नाम तथा पद को अंकित करते हुए स्टेशन पर अनुरक्षित फॉग सिगनल पंजिका में अलग से तैयार की जायेगी।

13. **परिशिष्टों की सूची** :

परिशिष्ट "क"	समपार फाटको का संचालन
परिशिष्ट "ख"	संकेतन एवं अन्तर्पाशन की पद्धति
परिशिष्ट "ग"	टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)
परिशिष्ट "घ"	गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य
परिशिष्ट "ड"	स्टेशन के आवश्यक उपस्कर
परिशिष्ट "च"	डी०के०स्टेशन, हाल्ट, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम
परिशिष्ट "छ"	विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के लिये नियम

टिप्पणी : इन नियमों को किसी भी स्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके या सुधार करके न पढ़ा जाय।

(अतुल सिंह)

(आर०पी० मिश्रा)

(के०एस० सोनाल)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी० मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/नि०मं०परि०प्र०/सामान्य इज्जतनगर

लखनऊ

इज्जतनगर

परिशिष्ट 'ग'

टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

“ लागू नहीं ”

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट "घ"

1. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक के कर्तव्य

- (क) स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी होता है और वह सामान्यतः स्टेशन के सही, सक्षम एवं सुरक्षित कार्य के लिये पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। कार्य क्षमता के स्तर को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये यह उसका कर्तव्य है कि वह हर श्रेणी के कर्मचारी के मध्य अपनी उपस्थिति का आभास कराये और सद्व्यवहार बनाये रखें। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है
1. स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण।
 2. आवधिक जॉच के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि हर श्रेणी का कर्मचारी अपना काम अपने रोस्टर के अनुसार सही तथा सुरक्षित ढंग से कर रहा है।
 3. कर्मचारियों को अपने कार्यों से सम्बन्धित सभी नियमों को भलीभाँति जानकारी है, को सुनिश्चित करने के लिये स्टाफ का आवधिक परीक्षण तथा जॉच करना।
 4. कर्मचारियों को दुर्घटना से बचाव तथा कार्य को सुरक्षित एवं सही ढंग से करने हेतु शिक्षित करना।
 5. समय-समय पर दिन और रात में सिगनलो, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय तथा नियम पुस्तको, डायरियों, गाड़ी रजिस्टरो एवं अन्य रजिस्टरो-प्रपत्रों आदि का निरीक्षण करना।
 6. यार्ड और यार्ड उपकरणों का आवधिक निरीक्षण।
 7. आश्वासन पंजिका और स्टेशन संचालन नियमों का रख-रखाव।
 8. सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट एवं निस्तारण करना।
 9. यार्ड में किसी बदलाव की आवश्यकता को देखते हुये सामान्य कार्य में सुधार या सुरक्षित कार्य को सुनिश्चित करने के सुझावों सहित सुझाव का मार्ग और ढंग बताना।
- (ख) वह सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्यों के लिये भी उत्तरदायी है।
- (ग) इस स्टेशन पर नियुक्त स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर होने वाले सभी कार्यों के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होने के साथ-साथ यार्ड का पर्यवेक्षण विशेष रूप से करेंगे।
- (घ). कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित काँटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें।

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

2. परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :

कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर और गाड़ियों के संचालन, आगमन एवं प्रस्थान के मामलों में प्रभारी होगा। गाड़ियों के संचालन से सम्बन्धित सभी कर्मचारी उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

1. यार्ड, कॉटों, सिगनलों, एवं अन्य संरक्षा उपकरणों, निजी संख्या पुस्तिका और सामान्य एवं असामान्य कार्य प्रणाली के लिये वॉछित सभी पुस्तकों आदि की स्थिति की जानकारी मुक्त होने वाले सहायक स्टेशन मास्टर से करें। यह भी सुनिश्चित करें कि स्टेशन डायरी में खराब या अन्य मदों का उल्लेख कर दिया गया है।
2. अपनी डियूटी की पारी में आने एवं जाने वाली सभी गाड़ियों के लिये आगमन अनुमति एवं प्रस्थान प्राधिकारों का देना तथा प्राप्त करना।
3. ब्लाक उपकरणों का संचालन एवं नियन्त्रण दूरभाष पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना।
4. सभी सिगनल प्रचालनों का नियन्त्रण।
5. शन्टिंग प्रचालनों का सामान्य पर्यवेक्षण।
6. जाने वाली गाड़ियों के चालको को जब जैसी आवश्यकता हो, सतर्कता आदेश एवं सिगनल खराबी की सूचना जारी करना।
7. स्टेशन डायरी का अनुरक्षण।
8. गोपनीय संख्या पुस्तिका व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना।
9. कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण।
10. जब स्टेशन मास्टर डियूटी पर नहीं हो, तो स्टेशन की सामान्य देख-रेख करना।
11. कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित कॉटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें।

3. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत काँटावाला के कर्तव्य

डियूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान एवं स्टेशन पर गाड़ियों की शन्टिंग के सम्बन्ध में दिये गये आदेशों का पूरी तरह से अनुपालन करने हेतु कार्यरत काँटावाला उत्तरदायी है। स्टेशन के कार्यों के सुरक्षित तथा त्वरित गति से करने के लिये काँटावाला को कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशों का पालन करना है। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

(क) गाड़ियों के आगमन / प्रस्थान एवं शंटिंग के लिये उसके निम्न कर्तव्य होंगे :

- [. सभी स्टाप सिगनलों के लाल शीशों का सिगनलों में लगा होना सुनिश्चित करना ।
2. कॉटों की विफलता के समय स्टेशन मास्टर के पर्यवेक्षण में कॉटों को सेट एवं पाशित करना।
3. सुनिश्चित करना कि लाइन सभी अवरोधों से मुक्त एवं साफ है।
4. दिन के समय टेल बोर्ड तथा रात्रि में फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का प्रकाश देखकर गाड़ी के पूरी आने-जाने को सुनिश्चित करना।

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

5. कार्यरत स्टेशन मास्टर के दिशा-निर्देश एवं गाड़ी के गार्ड के पर्यवेक्षण में गाड़ियों की स्टेशन पर शन्टिंग करना।
6. आवश्यकता पड़ने पर गाड़ियों का पथ प्रदर्शन करना।
7. कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार फाग सिग्नल लगाना
8. विफलता के समय उसके प्रभार में कॉटों का सामान्य अनुरक्षण तथा उन्हें पत्थर गिट्टी और धूल आदि से साफ रखना।
9. कार्यरत स्टेशन मास्टर को तुरन्त रिपोर्ट करना :-
 - i) सिग्नल, कॉटों, क्रॉसिंग गार्ड रेलों आदि की खराबी या क्षति के सम्बन्ध में।
 - ii) रेल की सुरक्षा अथवा कार्य में बाधा होने वाली कोई घटना जो उसकी जानकारी में आती है।
10. स्टेशन पर काटे गये खाली वाहनो की तलाशी लेना तथा उसमें कुछ पाये जाने पर स्टेशन मास्टर को अवगत कराना।
11. स्टेशन पर वाहनो को संरक्षा जंजीरों एवं ताले द्वारा सुरक्षित करना।

टिप्पणी :-विफलता की स्थिति में जब कॉटें, कॉटेवाले द्वारा प्रचालित होते हैं, तब वह उनका पूर्ण प्रभारी होगा। वह कॉटों के सामान्य अनुरक्षण और पत्थर की गिट्टी एवं धूल आदि से साफ रखने के लिये उत्तरदायी है। वह कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों का पालन करेगा। यदि उसको, कॉटों के परिचालन का कार्य करने के लिये लगाया जाता है तो संचालन समाप्त होने पर उन्हें पूर्व स्थिति में लायेगा। यदि उसे कॉटों, स्विचों और गार्ड रेलों आदि के संचालन में कमी ज्ञात होती है या अन्य किसी ऐसी घटना जिससे सुरक्षित एवं उपयुक्त रेल कार्य में बाधा पहुँच सकती है, तो उसकी जानकारी कार्यरत स्टेशन मास्टर को देना।

4. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत फाटक वाला के कर्तव्य

सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

परिशिष्टि “इ”

स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रूप से रहेंगे।

1. हाथ सिगनल बत्ती H.S.Lamp - 04 बैट्री आपरेटेड
ट्राय कलर टार्च - 08 के आयल (समपार सं० 231/C, 232/C के लिए)
2. हाथ सिगनल झण्डी - 06 हरी तथा 7 लाल
3. पटाखा सिगनल - 50
4. सुरक्षा जंजीरे - 04 तालो सहित
5. क्लैम्प - 06 तालो सहित
6. अग्निशामक यन्त्र डी०सी०पी०टाइप - 02
7. फायर बकेट - 06
8. प्राथमिक चिकित्सा बाक्स - 01
9. लकड़ी के गुटके - 04

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)
इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/45

दोहना

परिशिष्ट 'च'

डी०के० स्टेशन, हॉल्ट, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

लागू नहीं

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/45

दोहना

परिशिष्ट 'छ'

विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

लागू नहीं

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

